

राजस्थान सरकार  
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग  
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक: एफ13/1/39/वीएस/डीईएस/2013/I/36603/2015

दिनांक: 11-08-2015


परिपत्र

शासन सचिव, आयोजना के आदेश क्रमांक 22519 दिनांक 02.06.2015 के अनुसार जन्म—मृत्यु पंजीयन का कार्य ऑनलाईन होने तथा प्रमाण पत्र जारीकर्ता प्राधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर उपलब्ध होने की स्थिति में आगजन की ओर से जन्म—मृत्यु पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने तथा पंजीकरण पश्चात जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का कार्य ई—मित्र सेवा केन्द्रों के माध्यम से प्रारम्भ कराया जाना है। उक्त सेवा के लिए प्रथम चरण में जयपुर शहरी क्षेत्र के रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार की अधिकारिता अन्तर्गत घटित जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं सम्बन्धी पंजीयन कार्य हेतु जयपुर शहरी क्षेत्र में कार्यरत ई—मित्र केन्द्रों को अधिकृत किया गया है। ई—मित्र के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षरित जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया निम्न प्रकार से होगी:—

1. ई—मित्र केन्द्र के माध्यम से जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा।
2. आवेदक को आवेदन प्रपत्र में वाही गई सम्पूर्ण रूचनाएँ अनिवार्य रूप से भरनी होगी।
3. आवेदक को अपनी पहचान एवं 'पते राम्बन्धी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति आवश्यक रूप से आवेदन प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगी। पहचान एवं पते के लिए निम्न में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकता है:— गतादाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाईसेन्स, पेन कार्ड, कार्यालय पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि दस्तावेज, जिनसे फोटो/पते की पहचान हो सके।
4. आवेदक द्वारा जन्म/मृत्यु की घटना घटित होने सम्बन्धी प्रमाण/दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति आवेदन प्रपत्र के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी। जन्म की घटना के सम्बन्ध में डिस्वार्ज टिकट या एएनएम/दाई/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र या स्थानीय जनप्रतिनिधि सरपंच/वार्डपंच/वार्डपार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्र या स्थानीय स्तर पर पदस्थापित राजकीय अधिकारी/कर्मचारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र इत्यादि। मृत्यु की घटना के सम्बन्ध में पोर्टलमार्टिंग रिपोर्ट या एफआईआर या चिकित्सक/स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र या स्थानीय स्तर पर पदस्थापित राजकीय अधिकारी/कर्मचारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र इत्यादि।
5. आवेदक को विलम्बित रजिस्ट्रीकरण के प्रकरणों में 30 दिन से एक वर्ष की विलम्बित अवधि के लिए नोटेरी से सत्यापित शपथ पत्र पर जिला रजिस्ट्रार/अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार की अनुज्ञा एवं 1 वर्ष से अधिक की विलम्बित अवधि के लिए नोटेरी से सत्यापित शपथ पत्र पर कार्यकारी माजिस्ट्रेट की अनुज्ञा लेकर प्रत्युत करनी होगी।
6. ई—मित्र के माध्यम से जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करने पर आवेदक को निम्नानुसार शुल्क ई—मित्र केन्द्र पर जमा कराकर टोकन प्राप्त करना होगा:—
  - आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न पहचान/पते के दस्तावेज का राजकीय डाटाबेस से सत्यापन किये जाने की स्थिति में 10/- रुपये।
  - आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न पहचान/पते के दस्तावेज को स्कैन कर अपलोड किये जाने की स्थिति में 20/- रुपये।

- 30 दिन पश्चात की विलम्बित घटना के लिए प्रस्तुत शपथ पत्र को स्केन कर अपलोड किये जाने की स्थिति में 30/- रुपये।
  - पूर्व मुद्रित (Pre-Printed) स्टेशनरी पर प्रमाण पत्र प्रिन्ट हेतु 10/- रुपये।
7. ई-मित्र संचालक द्वारा टोकन जारी करने के पश्चात किसी कारणवश यदि टोकन का उपयोग नहीं किया गया है, तो आवेदक द्वारा उक्त टोकन को निरस्त कराया जा सकेगा।
  8. ई-मित्र संचालक द्वारा आवेदक से प्राप्त प्रपत्र की सम्पूर्ण सूचनाओं की प्रविष्टि पहचान वेबपोर्टल पर की जाकर रांगन दस्तावेजों की प्रतियों को स्केन कर अपलोड करते हुए आवेदन पत्र सम्बन्धित रजिस्ट्रार को उसी दिन आपेक्षित किया जावेगा।
  9. जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अनुसार एक बार जारी जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र में संशोधन का प्रावधान नहीं है, इसके लिए यह आवश्यक है कि आवेदक को भरे हुए आवेदन पत्र को कम्प्यूटर स्क्रीन पर पढ़वाया जावे या प्रिन्ट लेकर हस्ताक्षर करावे, ताकि प्रमाण पत्र में किसी तरह की त्रुटि नहीं रहे।
  10. जन्म और मृत्यु के विलम्बित रजिस्ट्रीकरण हेतु (21 दिवस पश्चात) नियमानुसार विलम्ब शुल्क 1/- रुपये देय होगा। ई-मित्र संचालक द्वारा विलम्ब शुल्क से प्राप्त राशि प्रतिमाह राजकोष में निम्न बजट शीर्षक में चालान द्वारा जागा करायी जावेगी।—  
बजट शीर्षक:-  
1475— अन्य सामान्य आर्थिक रोबायें  
012— सांख्यिकी  
(001) आर्थिक और सांख्यिकी
  11. सम्बन्धित रजिस्ट्रार द्वारा ई-मित्र केन्द्र के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के अपने लॉगिन से निर्धारित प्रक्रिया द्वारा एवं दस्तावेजों की जांच पश्चात अधिकतम 3 दिवस में डिजिटल हस्ताक्षरित जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करेगा।
  12. प्राप्त आवेदन में किसी तरह की आपत्ति होने पर सम्बन्धित रजिस्ट्रार द्वारा ई-मित्र संचालक को अधिकतम 3 दिवस में सूचित किया जावेगा, साथ ही इसकी सूचना एस.एम.एस. (SMS) द्वारा आवेदक को भी भेजी जावेगी।
  13. घटना के पंजीकरण की सूचना आवेदक द्वारा दिये गये मोबाइल नम्बर पर एस.एम.एस. (SMS) द्वारा दी जावेगी। इसके अतिरिक्त 'पहचान' पोर्टल पर रेफरेंस नं. एवं टोकन नं. प्रविष्ट करके भी पंजीकरण की स्थिति देखी जा सकेगी।
  14. सम्बन्धित रजिस्ट्रार द्वारा जारी, डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र आवेदक को पूर्व मुद्रित (Pre-Printed) स्टेशनरी में ई-मित्र संचालक द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा।
  15. ई-मित्र संचालक द्वारा प्राप्त समस्त मूल आवेदन प्रपत्रों को नगर निगम के सम्बन्धित जोन आयुक्त कार्यालय में प्रतियाह पहुँचाने की व्यवस्था करनी होगी।

उक्त आदेशों की पालना तुरन्त प्रभाव से की जावें।



(ओम प्रकाश बैरा)  
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं  
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: एफ13/1/39/वीएस/डीईएस/2013/I/36603/2015  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक: 11-08-2015

1. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
3. राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. तकनीकी निदेशक, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेस लिमिटेड, राजस्थान जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, 6-बी डालाना ढूंगरी, जयपुर।
6. सिस्टम एनॉलिस्ट एवं संयुक्त निदेशक, सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग,, राजस्थान जयपुर।
7. जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं उप निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग जयपुर
8. जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं आयुक्त, नगर निगम, जयपुर।
9. समस्त स्थानीय सेवा प्रदाता (ई-मित्र) जयपुर, शहरी क्षेत्र, जरिए तकनीकी निदेशक, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेस लिमिटेड, राजस्थान जयपुर।



अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं  
संयुक्त निदेशक (जीवनांक)

